यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

कॉर्पोरेट सम्प्रेषण

दान/कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति 2023-2024

1. **प्रस्तावना:**

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, यह वांछनीय है कि बैंक समाज की सामाजिक भलाई के लिए सक्रिय रूप से योगदान करे। बैंक के पास 9100 से अधिक शाखाओं और 70000 से अधिक कर्मचारियों के रूप में बड़े संसाधन हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जिनका उपयोग समाज के कम भाग्यशाली/कम-विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों के कल्याण के विकास को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक उत्थान में मदद करने के अलावा, यह समावेशी विकास में विश्वास रखने वाले ब्रांड के रूप में बैंक की छवि को बढ़ाने में भी मदद करेगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक अपनी दान/सीएसआर नीति बनाने और लागू करने का प्रस्ताव करता है। नीति बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली दान/सीएसआर गतिविधियों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करेगी। नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और अद्यतन किया जाएगा।

यह भी कहा जा सकता है कि आरबीआई के **संचार संख्या 237/2205-06 DBOD.No.Dir.BC 50/13.01.01/2005-06 दिनांक 21 दिसंबर , 2005 के निर्देश** स्वैच्छिक प्रकृति के हैं। इसके अलावा, चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, सीएसआर पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान बैंक के लिए लागू नहीं हैं।

दान/सीएसआर गतिविधि समाज को वापस देने के दर्शन को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा समाज के कम भाग्यशाली/कम-विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों के कल्याण के विकास के लिए एक सक्रिय और स्वैच्छिक कदम के रूप में करने का प्रस्ताव है।

2. **नीति विवरण:**

समाज के कम भाग्यशाली/कम-विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों संसाधनों के माध्यम से सामाजिक लोकसंपर्क को अधिकतम करने के लिए निर्बाध प्रयास करना।

3. उद्देश्य:

i. आर्थिक विकास के लिए प्रयास करें जो न्यूनतम संसाधन दोहन के साथ बड़े पैमाने पर समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे।

ii. धारणीय संवृद्धि के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें और समाज के प्रति मूल्यों और बैंक की प्रतिबद्धता के साथ अपने कारोबार विकास रणनीतियों में दान/सीएसआर को एकीकृत करें।

iii. सीएसआर का उपयोग सामाजिक मुद्दों में भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए बड़े मुद्दों जैसे गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य सेवा, कौशल उन्नयन, सामुदायिक विकास के समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा।

iv. अधिक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन करने में अपने स्टाफ सदस्यों को भी शामिल करें।

4. उपक्रम दान/सीएसआर गतिविधि:

i. बैंक सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कार्यों में सीधे या यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफ) या किसी भी प्रतिष्ठित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, अलाभकारी कंपनियों, समुदाय-आधारित संगठनों, ट्रस्टों/मिशनों, स्वयं सहायता समूहों, शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से संलग्न होगा। यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन बैंक द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

ii. दान केवल उन संस्थानों/एनजीओ को किया जाना चाहिए जो आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी)/धारा 35 एसी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ कर छूट के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं।

iii. विशिष्ट जाति/धार्मिक/सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और या राजनीतिक प्रभाव वाले संस्थानों को दान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और आम जनता के बड़े हित में गतिविधियों का संचालन जैसे अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में लगे प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों आदि को दान पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

iv. कॉर्पस फंड के लिए योगदान के रूप में दान बहुत ही असाधारण और योग्य मामलों में दिया जाना चाहिए जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकारी विकासात्मक/एजेंसियों को धन वृद्धि के लिए।

v. आईआईएम, आईआईटी, एनआईबीएम इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च/तकनीकी/प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं के पोषण के लिए विन्यास निधि के निर्माण को छोड़कर आम तौर पर व्यक्तियों को दान नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह के दान अत्यंत चयनात्मक आधार पर दिए जाने चाहिए।

vi. ऐसा कोई दान/सीएसआर गतिविधि नहीं की जा सकती है जो किसी भी प्रकार के हितों के टकराव को जन्म देती है। जिन गतिविधियों से केवल सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/निदेशकों और उनके निकट संबंधियों को सीधे लाभ होता है (सेबी दिशानिर्देशों की परिभाषा के अनुसार) उन्हें दान/सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी संस्थाएं जहां सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी/कार्यपालक/ प्रबंधन नियंत्रण/नियंत्रक हिस्सेदारी रखने वाले निदेशक दान/सीएसआर के तहत पात्र नहीं होंगे।

5. विशेष केन्द्रित क्षेत्र:

ऐतिहासिक रूप से, हमारे देश में समाज के वंचित, उपेक्षित और बहिष्कृत क्षेत्रों के लाभ के लिए किए गए प्रयास अलग-अलग क्षेत्रों में समस्याओं का केवल आंशिक रूप से समाधान करने में सफल रहे हैं। असंतुलन पर अभी भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। जटिलताओं, क्षेत्रों की भिन्नता, साक्षरता, वित्तीय स्थिति, भौगोलिक और सामाजिक दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ बैंक द्वारा बैंक के दान/सीएसआर गतिविधियों के तहत भारत के भीतर केन्द्रित क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है:

- शारीरिक/मानसिक अक्षमता।
- ग्रामीण विकास।
- स्वास्थ्य देखभाल।
- शिक्षा और कौशल विकास (बैंक अपने कौशल विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रयास करेगा)।
- बालिका एवं महिला अधिकारिता।
- सामुदायिक विकास, वित्तीय साक्षरता आदि की दिशा में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं, सुविधाओं को मजबूत करके आदर्श ग्राम / डिजी-गांव का विकास। (बैंक चयनित

गांवों में सभी बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा और आरबीआई के विभिन्न दिशानिर्देशों/सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा)

- प्राकृतिक आपदाएँ, त्रासदी।
- पर्यावरण संरक्षण।
- राष्ट्रीय विरासत, ऐतिहासिक स्थलों पर स्मारकों, कला और संस्कृति के केंद्रों का संरक्षण।
- दान/सीएसआर गतिविधियों के तहत एक पात्र गतिविधि के रूप में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना ताकि बैंकों द्वारा दान/सीएसआर निधियों से पीओएस उपकरणों की खरीद को सक्षम बनाया जा सके।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट अन्य सभी गतिविधियां भी दान/सीएसआर के तहत पात्र गतिविधियों के रूप में कवर की जाएंगी ।
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देने को प्राथमिकता दी जाती है।

अपवाद :

बैंक के दान/सीएसआर के हिस्से के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां नहीं की जाएंगी:

- बैंक किसी एक धर्म, जाति, पंथ आदि की वकालत या समर्थन नहीं करेगा और सभी के साथ धर्मनिरपेक्ष कारोबार संबंध बनाए रखेगा।
- बैंक दान/सीएसआर विकास के लिए राजनीतिक दल प्रायोजित परियोजनाओं का समर्थन नहीं करेगा।
- बैंक ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा जो केवल बैंक के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करता हो।
- बैंक के किसी भी अधिकारी या बैंक के अधिकारी के रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए कोई दान नहीं दिया जाएगा। रिश्तेदार की परिभाषा सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी (**अनुलग्नक 'ए'** के अनुसार संलग्न सूची)

6. दान/सीएसआर के अनुमोदन के लिए बोर्ड स्तरीय समिति:

6.1 संरचना, कोरम और बैठक की आवृत्ति

6.1.1 बैंक ने एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:
ए. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
बी. कार्यपालक निदेशक
सी. अधिनियम की धारा 9(3)(h) के तहत नामित एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
डी. अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित एक शेयरधारक निदेशक*
*बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970

6.1.2 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और शेयरधारक निदेशक श्रेणी के तहत हितधारक संबंध समिति के सदस्यों को वार्षिक आधार पर रोटेट किया जाएगा।

6.1.3 बैठक का कोरम तीन सदस्यों का होगा।

6.1.4 बैठक कम से कम एक तिमाही में एक बार आयोजित की जानी चाहिए।

6.1.5 बैठक के संयोजक महाप्रबंधक/ एसएसडी और कॉर्पोरेट संप्रेषण प्रमुख होंगे।

6.2 कार्यक्षेत्र

6.2.1 दान/सीएसआर नीति तैयार करना और निदेशक मंडल को उसकी सिफारिश करना और की जाने वाली गतिविधियों का संकेत देना।

6.2.2 इस नीति में निर्धारित समग्र मार्गदर्शन के भीतर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या समिति द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्था/संगठन को 10 लाख रुपये से अधिक परिव्यय की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का अनुमोदन।

6.2.3 त्रैमासिक आधार पर जीएम/ईडी/एमडी और सीईओ द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकरण के उपयोग की समीक्षा करना।

6.2.4 तिमाही आधार पर यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना।

6.2.5 हितधारक संबंध समिति के कार्यवृत्त तिमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे।

7. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट:

7.1. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (UBSFT) बैंक द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A के तहत

पंजीकृत है, जिसके पास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के तहत कर छूट की मंजूरी है। ट्रस्ट का एक अलग न्यासी बोर्ड है जिसमें 15 तक न्यासी होते हैं जिनमें एमडी और सीईओ पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभी कार्यपालक निदेशक पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्र ट्रस्टी सहित ट्रस्ट बोर्ड के अन्य सदस्यों को एमडी और सीईओ द्वारा नामित किया जाना है।

7.2. न्यासी बोर्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अखिल भारत में) के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त परियोजनाओं की जांच करता है और यदि आवश्यकता, लागत जैसे कि दान की मांग और कार्यान्वयन की व्यवहार्यता के आधार पर स्वीकार्य पाया जाता है तो उसे अनुमोदित करता है।

7.3. न्यासी बोर्ड तिमाही आधार पर बैठक करता है और स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा करता है और व्यवहार्यता और धन की उपलब्धता के आधार पर नई परियोजनाओं, यदि कोई हो, को भी मंजूरी देता है।

8. सीएसआर के लिए बजट:

भारतीय रिजर्व बैंक के संचार संख्या 237/2205-06 DBOD.No.Dir.BC-50/13.01.01/2005-06 दिनांक 21 दिसंबर , 2005 के तहत निर्देशों के अनुसार:

8.1 बैंक एक वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के लिए बैंक के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत तक का दान कर सकता है। नुकसान की स्थिति में, बैंक प्रति वर्ष रु. 5.00 लाख तक खर्च कर सकता है।

8.2 बैंक द्वारा प्रधान मंत्री राहत कोष में किए गए योगदान और इंडियन बैंक एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन और फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे व्यावसायिक निकायों / संस्थानों की सदस्यता को उपर्युक्त सीमा से छूट दी गई है।

8.3 एक प्रतिशत की सीमा के अप्रयुक्त हिस्से को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

8.4 आरबीआई के पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रस्ताव करते हैं कि दान/सीएसआर के लिए वार्षिक बजट पिछले वर्ष के लिए बैंक के प्रकाशित निवल लाभ के 1% तक या हानि के मामले में प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये तक सीमित होना चाहिए।

9. निधियन, चयन और अनुश्रवण प्रक्रिया:

9.1 परियोजना/कार्यक्रम के लिए दान/सीएसआर के अनुमोदन के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी:

क्रमांक	**मात्रा**	**प्रतिनिधि**
1	रु. 10.00 लाख तक	महाप्रबंधक / वर्टिकल प्रमुख, एसएसडी और कार्पोरेट सम्प्रेषण विभाग।
2	रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 25.00 लाख तक	कार्यपालक निदेशक
3	रु.25.00 लाख से अधिक रु.50.00 लाख तक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
4	50.00 लाख से अधिक	निदेशकों की हितधारक संबंध समिति

9.2 यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन (यूबीएसएफटी) या बैंक सीधे, पूरे भारत से परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुरोध प्राप्त करेगा। फाउंडेशन के सीईओ (यूबीएसएफटी) / महाप्रबंधक / वर्टिकल हेड एसएसडी और कॉरपोरेट सम्प्रेषण बैंक के केन्द्रित क्षेत्रों के तहत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे और परियोजनाओं को उनके संभावित प्रभाव का आकलन करके प्राथमिकता दी जाएगी। मूल्यांकन के मानदंड अनुलग्नक बी, बी1 और बी2 में दिए गए हैं। प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए संबंधित प्रत्यायोजित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

9.3 सामाजिक रूप से उन्मुख परियोजनाओं के लिए स्थापित संस्थानों / सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले गैर सरकारी संगठनों को उचित मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से विचार किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एजेंटों/बिचौलियों/परामर्शदाताओं की भागीदारी के बिना दान अनिवार्य रूप से सीधे संस्थानों/एनजीओ को किया जाता है।

9.4 संस्था को अधिमानतः एक सोसायटी या एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। दान केवल उन संस्थानों/एनजीओ को किया जाना चाहिए जो कर छूट के लिए पात्र हैं, यानी संस्थान/एनजीओ के पास आईटी अधिनियम की धारा 80 (जी)/35 के तहत आयकर छूट प्रमाणपत्र होना चाहिए, ताकि बैंक कर छूट का दावा कर सके।

9.5 ऐसे संस्थानों को दान देने से बचना चाहिए जिनके पास अपने स्वयं के संसाधन हैं और/या अपनी परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए स्वयं धन जुटा सकते हैं।

9.6 जहाँ तक संभव हो दान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए दिया जाना चाहिए और बैंक के अग्रणी जिलों को वरीयता के अनुसार देश में बैंक के नेटवर्क को कवर करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक पहुंच होनी चाहिए।

9.7 अल्प संसाधन वाले संस्थानों को वरीयता दी जानी चाहिए।

9.8 व्यक्तियों को कोई दान नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में योग्य मामलों में व्यक्तियों को दान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

9.9 निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। जब तक परियोजना पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक कॉर्पोरेट कार्यालय तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर त्रैमासिक रिपोर्ट बोर्ड की हितधारक संबंध समिति को उसकी त्रैमासिक बैठकों में समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

10. **निधियों का उपयोग और निर्मोचन:**

10.1 संवितरण क्षेत्रीय कार्यालयों/एफजीएमओ के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि सीधे एफजीएम/आरएम की सिफारिश के आधार पर संस्थानों/विक्रेताओं/एनजीओ को प्रेषित की जाएगी या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/एफजीएमओ को प्रेषित की जाएगी, जैसा भी मामला हो। एफजीएमओ, पी&डी-प्रभारी दान किए गए धन के उपयोग की निगरानी करेंगे और धन का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करेंगे जो स्थान के आधार पर या तो सीधे या क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं के माध्यम से अनुमोदित हो। एफजीएमओ दान की गई संपत्ति/गतिविधियों का अपने अधिकारी या क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करवाएगा। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए, बैंक के पैनल आर्किटेक्ट द्वारा मूल्यांकन किया जाना है और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसमें अनुमान, वास्तविक खर्च आदि को प्रमाणित किया जाएगा।

10.2 जिन एफजीएमओ/क्षेत्रों ने संवितरण किया है, वे दान किए गए धन के उपयोग की निगरानी करेंगे और जिस उद्देश्य के लिए इसे स्वीकृत किया गया है, उसके लिए धन का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। एफजीएमओ/क्षेत्रीय कार्यालय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दान के तहत बनाई गई संपत्ति का निरीक्षण करवाएगा और निरीक्षण रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखेगा।

10.3 अंचल /क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि दान प्राप्त करने वाला बैंक के नाम/लोगो को दान की गई संपत्ति पर या उस परिसर में प्रदर्शित करता है जहां दान की गई संपत्ति रखी जाती है।

10.4 अंचल /क्षेत्र निम्नलिखित की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा -

- दान प्राप्त करने वाले से दान की गई राशि की रसीद।
- यदि लागू हो तो छूट का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) / 35 के तहत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- दान प्राप्त करने वाले के चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र, जो दान किए गए धन के अंतिम उपयोग को प्रमाणित करता है।
- किसी संगठन को 25.00 लाख रुपये से अधिक के एकल दान के मामले में, अंचल/क्षेत्र एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी द्वारा निरीक्षण के माध्यम से दान किए गए धन के अंतिम उपयोग का सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एजेंटों/बिचौलियों/परामर्शदाताओं की भागीदारी के बिना दान अनिवार्य रूप से सीधे संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को किया जाता है।
- क्षेत्र महाप्रबंधक प्रयासों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जहां भी संभव हो, स्टाफ सदस्यों की अधिकतम संख्या को शामिल करना सुनिश्चित करेगा।

11. लेखांकन प्रक्रिया:

दान/सीएसआर के तहत व्यय को वास्तविक भुगतान के आधार पर दर्ज किया जाएगा न कि उपार्जन के आधार पर।

12. प्रभाव का विश्लेषण :

बैंक एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से तीन साल की अवधि में एक बार 25 लाख रुपये से अधिक के व्यय वाले अपने सभी दान/सीएसआर गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करेगा।

13. नीति की शर्तें और अवशिष्ट मुद्दें:

- यह नीति मौजूदा दान/सीएसआर नीति का स्थान लेगी।
- नीति तुरंत प्रभाव से लागू होगी और सालाना समीक्षा के अधीन होगी।
- इस नीति के संबंध में किसी भी अस्पष्टता/विरोधाभास/स्पष्टीकरण के मामले में, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ऐसे मुद्दे को हल करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होंगे।

यह नीति मार्च 2024 तक मान्य होगी और इसकी निरंतरता को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की विशिष्ट स्वीकृति के साथ 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(जीबी मिश्रा)
महाप्रबंधक

<u>अनुलग्नकों की सूची</u>

अनुलग्नक ए - सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार रिश्तेदार की सूची

अनुलग्नक बी - प्रस्ताव/परियोजना/दान आदि पर संक्षिप्त वृतांत।

अनुलग्नक बी-1 - दान मांगने वाले प्रस्तावों की जांच सूची।

अनुलग्नक बी-2 - ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट।

<u>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अनुबंध 'ए'</u>

<u>सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार रिश्तेदार की सूची:</u>

रिश्तेदार में निम्न शामिल हैं:

1. एचयूएफ के सदस्य
2. पति/पत्नी

3. पिता (सौतेले पिता सहित)
4. माँ (सौतेली माँ सहित)
5. भाई (सौतेले भाई सहित)
6. बहन (सौतेली बहन सहित)
7. बेटा (सौतेले बेटे सहित)
8. बेटी
9. पुत्रवधू
10. बेटी का पति